प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.02.2026

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 05 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.01.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त तिग्गी पुत्र अज्ञात द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम करना व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 23.02.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 05 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त तिग्गी उर्फ रवि पुत्र जग्गू निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मुरादनगर के पास झुग्गी-झोपड़ी डालकर रहता था। मेरी झुग्गी-झोपड़ी के पास ही वादी अपने परिवार के साथ रहता था। दिनांक 20.01.2026 को वादी अपनी पत्नी के साथ छोटे बच्चे को लेकर दवाई दिलाने चला गया था तभी वादी की नाबालिक पुत्री को मैं बहाने से निकट के गन्ने के खेत में ले गया और मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

तिग्गी उर्फ रवि पुत्र जग्गू निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 एटीएम कार्ड व 02 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 23.02.26 को वादी गणेश पुत्र हीरालाल ने थाना खोड़ा पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 14.02.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे एटीएम को चैंज कर कुल 80,000 रुपये निकाल लिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा पर धारा 303(2),318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.02.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस एवं अन्य मैनुअल इनपुट की मदद से 01 अभियुक्त अजीत कुमार शाह पुत्र श्री महेश शाह निवासी फूहरी महिनाथपुर रहिका मधुबनी बिहार वर्तमान पता मोहल्ला दीपक विहार नियर लैबर चौक खोडा कालौनी थाना खोड़ा, गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को 04 एटीएम व 2 मोबाइल फोन सहित कविता पैलेस के पास खोड़ा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब दिनांक 14.02.2026 को मैं HITACHI ATM जो साहिल पब्लिक स्कूल के पास दीपक विहार खोड़ा में है के पास खड़ा था। एक व्यक्ति पैसा निकालने के लिए आया था उससे पैसा नहीं निकाले जा रहे थे तो उसने मेरी मदद ली। मैंने उससे कहा कि भाई अपना एटीएम कार्ड मुझे दो मैंने उससे पिन नम्बर पूछा। इसके बाद मैंने जानबूझकर पिन नम्बर गलत डाल दिया और उससे कहा कि इस एटीएम में पैसा नहीं है, आप किसी अन्य एटीएम से पैसे निकाल ले। मैंने इसी बीच उसका एटीएम, अपने पास पहले से मौजूद बैक आफ इंडिया एटीएम कार्ड से बदल दिया था। उसके जाने के पश्चात मैंने उसके एटीएम कार्ड से एक्सिस बैंक का एटीएम जो एलआईसी बिल्डिंग,दीपक विहार के पास है से मैंने कुल 05 बार ट्रांजेक्शन करके 50,000 रूपये निकाले थे। इसके उपरान्त मैंने जैन कम्यूनिकेशन,दीपक विहार से ये वीवो का मोबाइल जो मुझसे बरामद हुआ है कुल 32,000 रूपये में खरीदा था। जिसमें से 30,000 रूपये उसी एटीएम कार्ड से स्वैप कराके व 02 हजार रूपये नगद देकर खरीदा था। साहब मुझसे गलती हो गयी है। मैं भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। अभियुक्त से उपयोग किये गये एटीएम कार्ड तथा 50,000 की धनराशि के बारे में पूछा तो बताया कि साहब वो एटीएम कार्ड कहीं गिर गया है ओर जो 50,000 रूपये मैंने निकाले थे वो मैंने अपनी मौज मस्ती में खर्च कर दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

- अजीत कुमार शाह पुत्र श्री महेश शाह निवासी फूहरी महिनाथपुर रहिका मधुबनी बिहार वर्तमान पता मोहल्ला दीपक विहार नियर लैबर चौक खोडा कालौनी थाना खोड़ा, गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 04 एटीएम कार्ड़ व 02 मोबाइल फोन बरामद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त अजीत कुमार शाह के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 23.02.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त सुहेब उर्फ सुहेल पुत्र बूदां खान निवासी गगन किराना स्टोर, शिव मदिर के पास रहीशपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को 1 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा के साथ सेक्टर 02/05 की पुलिया वैशाली से गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बंध में थाना कौशाम्बी पर धारा 8/20 NDPS Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सुहेब उर्फ सुहेल उपरोक्त से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अवैध गांजा दिल्ली से किसी अज्ञात व्यक्ति से लाता है जिसका नाम पता नही जानता जिसे अभियुक्त दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों मे नशा करने वाले व्यक्तियो को घूम घूम कर बेचता है और गांजा बेचने से प्राप्त पैसो से अपने शौक मौज पूरे करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- सुहेब उर्फ सुहेल पुत्र बूदां खान निवासी गगन किराना स्टोर, शिव मदिर के पास रहीशपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 किलो 30 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक अपराध की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना लोनी द्वारा की गयी विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक श्री

हरीश कुमार द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लोनी, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 363/366/376 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त अलीशेर पुत्र सुक्कन निवासी बड़ी मस्जिद के पास चिरोडी थाना लोनी गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 24.02.2026 को धारा-4 पॉक्सो अधि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा- 366 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में वादिया द्वारा दिनांक 24.01.2020 को थाना लोनी पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री हरीश कुमार विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**आरक्षी सौरभ कुमार** पैरोकार थाना लोनी